ए.

शिव कुमार और ओआरएस।

बनाम

गैंडा लाल एंड ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 7629)

बी.

21 अक्टूबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जेजे।**]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:घातक दुर्घटना-क्षतिपूर्ति-वृद्धि-वाहन दुर्घटना में 25 वर्ष की आयु की गृहिणी की मृत्यु-5 लाख रुपये के मुआवजे का पुरस्कार। 19,12,200-न्यायाधिकरण द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत ब्याज के साथ, उच्च न्यायालय द्वारा 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 34,000/- तक बढ़ाया गया-अपील पर कहा गया:मृतक 25 वर्ष की आयु की एक गृहिणी थी और ट्यूशन ले रही थी, उच्च न्यायालय को उसकी आय पर कम से कम 7,500/- रुपये पर विचार करना चाहिए था-उच्च न्यायालय ने भविष्य के पहलू पर विचार नहीं किया और आय के 40 प्रतिशत की निर्भरता के नुकसान पर विचार करते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जाना है-इस प्रकार, दावेदार 5 लाख रुपये के बजाय 1 लाख रुपये के हकदार हैं। भ्रूण के नुकसान के लिए 50,000 रुपये, संघ के नुकसान या प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये-प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 82,000 रुपये के मुआवजे का हकदार दावेदार-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संशोधन किया गया।

सी.

डी.

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 7629।

2014 के एफ. ए. ओ. सं. 854 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेशों से।विकास कुमार, मनीष पालीवाल, सुश्री मेघा यादव, सुश्री हिमांशी कौशिक, मैसर्स कॉरपोरेट लीगल पार्टनर्स, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।विष्णु मेहरा, सुश्री साक्षी मित्तल, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

जी.

एम. आर. शाह, जे.

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की पहली अपील में चंडीगढ़ में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए मूल दावेदारों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

एच.

1042 ए.

1043

शिव कुमार और ओआरएस. बनाम.गैंडा लाल एंड ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

2. कि अपीलार्थी की पत्नी नं.1 एक वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई।संबंधित समय में, मृतक की आयु 25 वर्ष थी और वह एक गृहिणी थी।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 12,200/- का फैसला सुनाया। विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक की 1500/- रुपये प्रति माह की आय को ध्यान में रखते हुए निर्भरता के नुकसान को 500/- रुपये पर घोषित किया।चूंकि संबंधित समय पर मृतक गर्भवती थी, विद्वान न्यायाधिकरण ने भ्रूण के लिए Rs.50,000/- भी दिया।विद्वान न्यायाधिकरण ने विभिन्न शीर्षों के तहत 12,200/- का अधिनिर्णय दिया:

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

2.1 मूल दावेदारों के आग्रह पर एक अपील में, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे की राशि को 34,000/- तक बढ़ा दिया हैः

दावे का प्रमुख	एमएसीटी	उच्च न्यायालय
आमदनी	1500/-अपराह्न	6000/-पी. एम. काल्पनिक
भविष्य की संभावना	-	-
निर्भरता का नुकसान (कटौती और भविष्य की संभावनाओं को समायोजित करने के बाद वार्षिक आय * गुणक)	रुपये. 3,24,000 -	Rs.12,96,000/ -

जी.

एच.

बी.

सी.

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल दावेदारों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थियों-मूल दावेदारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने मृतक की आय को केवल 6,000/- रुपये प्रति माह मानते हुए निर्भरता के नुकसान का फैसला देने में गंभीर त्रुटि की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी भी 6,000/- रुपये प्रति माह से बहुत अधिक थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा निर्भरता के नुकसान को प्रदान करते समय, भविष्य की संभावना को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया है।

डी.

ई.

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भ्रूण के लिए Rs.50,000/- देने में भी गलती की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दावेदार संघ के नुकसान या प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए प्रत्येक Rs.40,000/- की राशि के हकदार होंगे।इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए।4. प्रतिवादी-बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु मेहरा ने कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से जब मृतक केवल एक गृहिणी थी, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने मृतक की आय को देखते हुए 6,000 रुपये प्रति माह की दर से निर्भरता के नुकसान का फैसला देने में कोई त्रुटि की है।हालाँकि, उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि उच्च न्यायालय को भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्भरता के नुकसान का निर्णय देना चाहिए था।

एफ.

जी.

5. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनना और इस तथ्य पर विचार करना कि प्रासंगिक समय पर ए

एच.

1045

शिव कुमार और ओआरएस. बनाम.गैंडा लाल एंड ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

मृतक केवल 25 वर्ष की आयु की गृहिणी थी और परिवार में पत्नी का योगदान था और इस बात के प्रमाण हैं कि वह ट्यूशन का काम भी कर रही थी, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को

मृतक की आय पर कम से कम 7,500/- रुपये प्रति माह विचार करना चाहिए था।उच्च न्यायालय ने भी भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है।कानून की तय स्थिति के अनुसार निर्भरता के नुकसान पर विचार करते हुए आय का 40 प्रतिशत भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जाना आवश्यक है।

बी.

5.1 हमारी राय है कि दावेदार भ्रूण के नुकसान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए Rs.50,000/- के बजाय प्रत्येक 1 लाख रुपये की राशि के हकदार होंगे।

5.2 दावेदार-पति और नाबालिग बेटा भी संघ के नुकसान या प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए Rs.40,000/- के हकदार होंगे।

सी.

5.3 उपरोक्त सीमा तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता है।

डी.

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए, वर्तमान अपील की अनुमति है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थियों-मूल दावेदार प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ कुल 82,000 रुपये की राशि के हकदार होंगे।

ई.

वर्तमान अपील को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

एफ.

जी.

एच.